डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय
DR. A.P.J. ABDUL KALAM TECHNICAL UNIVERSITY
(Formerly UP Technical University)
सेक्टर -11, जानकीपुरम विस्तार योजना लखनऊ-226031 Sector-11, Jankipuram Extension Yojna, Lucknow-226031

Ref. No: AKTU/IH/2022/025 Date: 09/05/2022

To,
The Directors / Principals
Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University
Lucknow, Uttar Pradesh

विषय: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत उद्यम की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सहायता दिलाए जाने के संदर्भ में।

महोदय,
"उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड" से प्राप्त संलग्न पत्रांक संख्या 1247-1322 के सन्दर्भ में आपको सूचित करना है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी नवयुवक ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम की स्थापना करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत धनराशि रु0 25 लाख तक के प्रोजेक्ट की स्थापना की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 से 35% तक अनुदान की सुविधा अनुमान है तथा ग्रामीण क्षेत्र की वित्त पोषित इकाइयों को अधिकतम 13% की दर से ब्याज उत्पादन की सुविधा भी अनुमान है। उक्त योजना के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप संस्थाएं एवं व्यक्तिगत उद्यमी भी बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन अनुमान्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था भी ऑनलाइन है यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है।

आपसे अनुरोध है की उक्त जानकारी को अपने संसथान के वर्तमान एवं पूर्व छात्रों तक पहुंचने का कष्ट करें, जिससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्र अपना उद्यम स्थापित करने हेतु रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश कड़ी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सभी जनपदों में तैनात हैं जिनसे पूर्ण सहयोग लिया जा सकता है। उपरोक्त योजना से सम्बंधित आवश्यक पत्र संलग्न है।

Best wishes

(Mahip Singh)
Head, Innovation Hub

Copy to: 1. Coordinator, Innovation Hub.
2. Staff officer, Hon'ble VC for kind information to Hon'ble Vice Chancellor.

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

8, तिलक मार्ग, लखनऊ

UP.Khadi & Village Industries Board

8, Tilak Marg, Lucknow

GRAM-KHADIBOARD Ph. 2208321, 2208313, 2207004, 2208287, Fax- (0522) 2208243

Website- www.upkvib.gov.in E: mail-ceoupkvib@Gmail.com

ई–मेल / आवश्यक

पत्रांक 1247-1322 / खा.ग्रा.बो / पीएमईजीपी / प्रचार–प्रसार पत्रा. / 2022–23 / दिनांक 22.4.2022

कुलपति,
डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी
सेक्टर 11, जानकीपुरम विस्तार,
लखनऊ, उ0प्र0
पिन कोड–226031

विषयः–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उद्यम की स्थापना हेतु विश्वविद्यालय से तकनीकी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा प्राप्त एवं अनुभवी नवयुवक ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत धनराशि रू0 25.00 लाख तक के प्रोजेक्ट की स्थापना की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु योजनान्तर्गत प्रोजेक्ट कास्ट का 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान की सुविधा अनुमन्य है तथा ग्रामीण क्षेत्र की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान की सुविधा भी अनुमन्य है। उक्त योजना के अन्तर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप, संस्थायें एवं व्यक्तिगत उद्यमी भी बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र है। योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अनुदान प्राप्त होने की व्यवस्था भी ऑनलाइन है। यह योजना पूरी तरह से पारदर्शी है।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने विश्वविद्यालय से संबद्ध तकनीकी कालेजों एवं पूर्व छात्रों को योजना के बारे में अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे तकनीकी शिक्षा प्राप्त पूर्व छात्र अपना उद्यम स्थापित करते हुए रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेगे। यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सभी जनपदों में तैनात है, उनसे भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। योजना से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र संलग्न है।

संलग्नकः–**उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Mahf

कुलपति

पत्रांक 1247-1322 / उक्त / तद / दिनांक

प्रतिलिपि–समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव /
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

D:/sandeep/letterhead

आवश्यक अभिलेख	
1	उद्यमी की फोटो
2	शैक्षिक योग्यता (हायर एजूकेशन की मार्कसीट)
3	प्रधान द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र
4	आधार कार्ड, पैन कार्ड
5	जाति प्रमाण पत्र
6	निवास प्रमाण पत्र
7	प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी०ए०) द्वारा

ग्राम प्रधान से
फोटो प्रमाणित

: अनापत्ति एवं जन संख्या प्रमाण पत्र :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..निवासी

ग्राम ....पोस्ट ....

जनपद–लखनऊ के निवासी है। यह खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ....उद्योग ग्राम....................................पो0..........................ब्लाक.................... तहसील...................................जनपद लखनऊ में एक नया उद्योग लगाना चाहते/चाहतीं है। वर्तमान में इस स्थान पर इससे सम्बन्धित कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। इनके उद्योग स्थापना से इस ग्राम सभा को कोई भी किसी प्रकार की भी आपत्ति नहीं हैं अपितु इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगो को रोजगार ही मिलेगा। वर्तमान में इस गांव की कुल आबादी लगभग ....है।

प्रस्तावित इकाई की परिसीमा

पूरब :–

पश्चिम:–

उत्तर :–

दक्षिण :–

उद्यमी के हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान के
हस्ताक्षर व मोहर